2. संतोष पुत्र पूनाराम उर्फ पूनिया भील
3. अशोक उर्फ कानाराम पुत्र पूनाराम उर्फ पूनिया भील
4. श्रीमती नैनी पत्नी जोगाराम उर्फ जोगला भील
5. नीतू पुत्री जोगाराम उर्फ जोगला भील
6. सुनीता उर्फ कुकी पुत्री जोगाराम उर्फ जोगला भील
निवासीगण धिनाणा की ढाणी, पाल,
तहसील व जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. हीराराम पुत्र गुमनाराम जाट के कायममुकामान --
   a. बस्तीराम पुत्र हीराराम जाट
   b. भगाराम पुत्र हीराराम जाट
   c. तेजाराम पुत्र हीराराम जाट
   d. सिमाराम पुत्र हीराराम जाट
   e. श्रीमती चिडिया पुत्री हीराराम जाट
   f. श्रीमती गंगा पुत्री हीराराम जाट
   निवासीगण ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर
2. मंजू पुत्री पूनाराम उर्फ पूनिया भील निवासी पाल, तहसील व जिला जोधपुर
3. संजू पुत्री पूनाराम उर्फ पूनिया भील निवासी पाल, तहसील व जिला जोधपुर
4. रेखा पुत्री पूनाराम उर्फ पूनिया भील नाबालिग जरिये माता रामूडी निवासी धिनाणा की धाणी पाल, तहसील व जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर
6. उप-पंजीयक, पंजीयन विभाग, जोधपुर
7. श्यामलाल पुत्र मूलाराम भील, निवासी मथानिया, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर, जोधपुर दिनांक 01 जून 1978 राजस्व मूल वाद संख्या 28/1978 हीराराम बनाम पूनिया इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री स्वर्णसिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स संख्या एक से तीन
श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स संख्या चार से छः
श्री अर्जुनसिंह चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1ए से 1डी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.संख्या पॉच व छः

नि र्ण य

दिनांक : 30 दिस.,2019

अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/1978 हीराराम बनाम पूनिया आदि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 जून 1978 के खिलाफ दिनांक 18 जुलाई 2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षिप्त में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर जोधपुर के समक्ष रेस्पो. के पिता हीराराम पुत्र गुमानाराम जाट ने आराजी खसरा संख्या 212 रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा वाके मौजा पाल तहसील व जिला जोधपुर के संबंध में एक राजस्व वाद बरखिलाफ प्रतिवादीगण पूनाराम उर्फ पूनिया पुत्र मांग्या भील तथा जोगला उर्फ जोगाराम पुत्र सुखिया भील नाबालिग जरिये कुदरती वली पूनियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के पूर्व वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही थी, दो वर्ष काश्त हेतु यह भूमि प्रतिवादीगण पूनिया के पिता मांग्या ने मांग कर ली थी, इस कारण भूलवश पर्चा-लगान मांग्या के नाम जारी हो गया। इस संबंध में प्रतिवादी के चाचा सुखिया ने वादी को एक लिखित तहरीर वास्ते सबूत दिनांक 06 जून 1963 को लिख कर दी थी कि उपरोक्त खसरा संख्या 212 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा भूमि का मालिक हीराराम ही है और पर्चा लगान गलती से मांग्या के नाम जारी हो गया। वाद के अंत में वादी ने वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किये जाने और राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर वादी का नाम खातेदार काश्तकार के तौर पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि मामले में वादी-पक्ष सवर्ण जाति का सदस्य है और प्रतिवादी-पक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि का किसी गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के पक्ष में किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरण नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा मात्र गिरदावरी संवत 2012 से 2025 के अवलोकन के आधार पर, बिना कोई विवेचन किये ही, सिद्ध होना मान लिया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व अभिलेख में गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट्स की श्रेणी का अभिलेख नहीं है। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद में प्रतिवादी संख्या दो जोगला उर्फ जोगाराम पुत्र सुखिया भील को नाबालिग स्वीकार किया गया है और प्रतिवादी संख्या एक पूनियां पुत्र मांग्या जाति भील को नाबालिग का स्वयंभू संरक्षक नियुक्त किया गया, जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार न्यायालय की अनुमति के बिना कुदरती वली के अलावा अन्य किसी को भी नाबालिग का संरक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि वादी-रेस्पो. ने अपने खातेदारी अधिकारों की प्राप्ति के लिए वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा-काश्त होना और उसका सबूत सुखिया द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित लिखत दिनांक 06 जून 1963 जिसमें सुखिया ने वादग्रस्त आराजी बाबत जारी पर्चा लगान को गलत बताया है, को आधार बनाया है। उक्त आधार समुचित एवं विश्वसनीय नहीं है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स गरीब, अनपढ एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति है, जिन्हें कानूनी प्रावधानों की जानकारी नहीं है और आदिनांक तक वादीगण के द्वारा भुलावे में भी रखे गये। वर्तमान में अपीलाण्ट्स अजमेर में अधिवक्ता श्री प्रदीप विश्नोई से मिले तो जानकारी प्राप्त हुई कि मूल आदेश के खिलाफ अपील

राजस्व मण्डल प्राधिकारी
जोधपुर

को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे और गुणावगुण पर अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्तागण ने अपील प्रकरण में समय-समय पर विभिन्न लिखित विवरणों को दोहराते हुए संयुक्त रूप से अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादी-रेस्पो. हीराराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आलौच्य वाद संख्या 28/1978 हीराराम बनाम पुनीया पुत्र मांगीया व अन्य अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किये जाने के पूर्व किसी के सिखाये में आकर स्वयं पूनिया व सुखिया ने हीराराम के खिलाफ वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 212 रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा वाके मौजा पाल के संबंध में एक राजस्व वाद पेश कर वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर-नियुक्त करवा लिया, जिस आदेश के खिलाफ हीराराम द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील पेश की गयी। अपीलीय न्यायालय में अपील प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 31 मार्च 1976 को पूनीया ने लिखित राजीनामा पेश कर इस बात को स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि हीराराम की है एवं हीराराम ही दीर्घकाल से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। लिखित राजीनामा को तस्दीक किये जाने के बाद वादी की अपील तस्दीक की जाकर दिनांक 28 मार्च 1977 को प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत वाद जरिये राजीनामा खारिज किया गया एवं दिनांक 29 जून 1977 को वादग्रस्त आराजी का कब्जा रिसीवर से पुनः हीराराम को सुपुर्द करवाया गया। इसके अलावा वादी हीराराम को परेशान करने की नीयत से वादग्रस्त भूमि का अन्यत्र बेचान 15 मई 1970 को प्रतिवादीगण ने किसी रामा पुत्र पना सरगरा (अनुसूचति जनजाति से दीगर सदस्य को) के नाम बिना भौतिक हस्तान्तरण मात्र कागजी बेचान कर दी। मगर चूंकि बेचान कार्यवाही मात्र फर्जी कार्यवाही थी जिसके आधार पर रामा व उसके वारिसान को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते थे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रामा के पुत्र घीसीया ने पक्षकारों के मध्य दिनांक 31 मार्च 1976 को राजीनामा किया, जिसकी अपील भी हुई, मगर राजीनामा के आधार पर अपील खारिज हुई।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आलौच्य वाद में प्रतिवादी संख्या एक ने अपने बयानों में उक्त तथ्यों की ताईद की है। अन्य गवांहान ने भी वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादी-रेस्पो. का दावा डिकी किया है।

रेस्पो. के अधिवक्तागण की ओर से यह भी जाहिर किया गया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये जाने के बाद वादी-रेस्पो. हीराराम पुत्र गुमनाराम के खिलाफ सांवलराम पुत्र गुमनाराम द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर जोधपुर के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 102/1984 अनवान सांवलराम बनाम हीराराम आदि प्रस्तुत किया गया, जिसका निस्तारण दिनांक 25 जनवरी 1985 को करते हुए आराजी खसरा संख्या 212 रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा में से 3/4 हिस्से का सांवलराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया और उक्त निर्णय एवं डिकी की पालना में राजस्व रिकार्ड में सांवलराम के पक्ष में अमल-दरामद किया जा चुका है। आदिनांक तक उक्त निर्णय एवं डिकी दिनांक 25 जनवरी 1985 को किसी सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गयी है। ऐसी स्थिति में आलौच्य निर्णय एवं डिकी दिनांक 6 जून 1978 उक्त निर्णय एवं डिकी दिनांक 25 जनवरी 1985 में मर्ज हो चुके है।

अपनी बहस जारी रखते हुए रेस्पो. के विद्वान अधिवक्तागण ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी को निरस्त करवाने हेतु श्यामलाल ने दिनांक 13 मार्च 2007 को जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत दिनांक 13 मार्च 2007 को प्रार्थनापत्र पेश किया जिसमें अपीलाण्ट्स को अप्रभावित पक्षकार बनाया गया, अपीलाण्ट्स ने न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष किसी प्रकार का कोई उज्र-एतराज प्रस्तुत नहीं किया। उक्त प्रकरण संख्या 13/2010 मूल प्रकरण संख्या 1/2007 दिनांक 10 दिसम्बर 2014 को जरिये अबेटमेण्ट खारिज हो गया। जिसके खिलाफ निगरानी संख्या 953/2015 अनवान रामुडी बनाम आर.के.दुग्गड माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है।

पूनाराम के वारिसान रामूडी इत्यादि में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 01 जून 1978 को निरस्त कराने हेतु दिनांक 16 जून 2007 को प्रकरण संख्या 14/2010 मूल प्रकरण संख्या 7/2007 अनवान श्रीमती रामूडी बनाम श्रीमती नैनी इत्यादि तथा जोगाराम के वारिसान श्रीमती नैनी आदि ने दिनांक 19 मई 2007 को प्रकरण संख्या 15/2010 मूल प्रकरण संख्या 3/2007 अनवान श्रीमती नैनी इत्यादि बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कार्यवाही नहीं की है। इस कारण यह आदेश अंतिम हो चुका है। यह उल्लेख करना भी समीचीन है कि मौके पर वादग्रस्त आंराजी कृषि भूमि भी नहीं रही है, सक्षम अधिकारी द्वारा इसका आबादी एवं व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जा चुका है और मौके पर आबादी बस गई है और भूखण्डों का आबादी एवं व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उत्तरोत्तर बेचान भी हो चुका है। विधिक तौर पर अपील अपीलाण्ट्स इस आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट की ओर से मूल प्रतिवादी पूनिया स्वयं के सशपथ बयान पेश हो चुके है। अपने पूर्वज द्वारा की गयी स्वीकरोक्ति से अपीलाण्ट आबद्ध है और अब अपील स्तर पर वे मुकर नहीं सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी विधिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए पारित किये गये है और धारा 42बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की तनिक भी अवहेलना नहीं की गयी है। अपीलाण्ट्स द्वारा सन 2007 में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी को अपास्त कराने हेतु जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया है, तब अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो. संख्या दो से चार को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत समुचित जानकारी बखूबी हो चुकी थी, ऐसी स्थिति में अब यह कहा जाना सर्वथा गलत है कि अनपढ गरीब काश्तकार होने के कारण उन्हें विधिक प्रावधानो की समुचित जानकारी नहीं थी इस कारण अपील पेश करने में विलम्ब हो गया। अंत में विद्वान अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-रेस्पो. ने निम्नलिखित नजीरें प्रस्तुत की --

1. 1994 RRD 168
2. 1994 RRD 616
3. 2017(1) RRT 711
4. 2017(1) RRT 117
5. 2013 RRD 189
6. 2014(2) RRT 1476
7. 2010(2) RRT 801
8. 2011(1) RRT 614
9. 2014(2) RRT 1349
10. 2006 RBJ 78
11. 2017(2) RRT 787

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे न्याय के मूल-बिन्दु तक पहुँचने के लिए मुख्य रूप से अदालत हाजा की राय में निम्नलिखित बिन्दुओं बाबत विवेचन एवं विश्लेषण किया जाना नितान्त आवश्यक है--

1. ***आया वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति की भूमि होने के कारण गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में अन्तरित नहीं की जा सकती थी?***

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में आने के पूर्व से वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 212 रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा वाके मौजा पाल पर वादी-रेस्पो. हीराराम का कब्जा काश्त होना स्वयं प्रतिवादी पूनिया द्वारा स्वीकार किया गया है और इकबाली जवाब दावा भी पेश किया गया है। स्वीकरोक्ति से सर्वोत्तम अन्य कोई साक्ष्य नहीं है और किसी स्वीकरोक्ति को मात्र इसलिए मानने से इंकार नहीं किया जा सकता कि वह पक्षकार अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 01 जून 1978 पारित होने के 41 साल बाद भी आज तक अपीलाण्ट अर्थात प्रतिवादी के वारिस एकमात्र इसी आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का उज्र करते है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ होने के आधार पर विरोध करते है किन्तु एक भी आधार यह नहीं दर्शाते है कि वादग्रस्त आराजी मांगिया द्वारा काश्त पर किससे ली गयी थी? यही नहीं, यह उल्लेख करना भी समीचीन है कि प्रतिवादीगण के वारिसान द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी को अपास्त कराने हेतु आलोच्य अपील के अलावा अन्य जो विधिक उपचार रेफरेन्स एवं निगरानी आदि के रूप में किये गये, उनमें वे असफल हो चुके है।

इसके विपरीत, अभिलेख के अवलोकन से यह भलीभांति प्रकट होता है कि पूर्व में वाद संख्या 28/1978 की कार्यवाही में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आकर काफी वर्षो पहले वादी पर झूठे मुकदमें किये जो काफी समय तक चले परन्तु बाद में दोनों पक्षकारों के बीच में राजीनामा हो गया।" अपने बयानों में उक्त गवाह पूनिया ने यह भी कहा कि "... हमने इकरारनामा जो वादी को लिख कर दिया था वह प्रदर्श-1 है एवं उसके बाद उप-जिलाधीश जोधपुर के यहॉ पर जो राजीनामा मुताबिक इस भूमि के हुआ था, वह प्रदर्श-2ए है। जिस पर मेरा अंगुठा है..."।

इसके अलावा न्यायालय उप-जिलाधीश जोधपुर के समक्ष पूनिया पुत्र मांगीया एवं सुखिया पुत्र पदमा द्वारा आराजी खसरा संख्या 212 रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा वाके मौजा पाल के संबंध में रामा पुत्र पना तथा हीराराम पुत्र गुमनाराम जाट के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183, 188 एवं 92ए के तहत एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 31 मार्च 1976 को एक राजीनामा पेश किया गया, जिसके पद संख्या चार में यह वर्णित किया गया है कि " हम वादीगण एवं स्व. मांगीया व स्व. सुखिया को अपने स्वार्थ एवं प्रतिवादी संख्या 21 से रंजिश के कारण हमारे से प्रतिवादी संख्या दो के खिलाफ विवादग्रस्त खेत बाबत कई मुकदमात करवा दिये थे और हमें खामख्वाह खर्चे और जेरबार व परेशान कर दिया। हम स्वयं यह बखूबी जानते है कि विवादग्रस्त खेत खसरा संख्या 212 वाके पाल में हमारा किसी प्रकार का हक व कब्जा नहीं है जिसके अलावा हमने अच्छी कानूनी सलाह भी ले ली है।...."

इसी राजीनामा के पद संख्या पांच में अंकित है कि "... उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वादी नम्बर 1 द्वारा यह दावा विदडा करना वादी नम्बर 2 के हित में है।"

उक्त राजीनामा के आधार पर वाद संख्या 83/1970 पूनिया व अन्य बनाम रामा इत्यादि दिनांक 28 मार्च 1977 को जरिये withdrawal फैसल किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रामा के वारिस घीसा द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या 53/1976 घीसा बनाम पूनिया आदि भी न्यायालय उप-जिलाधीश

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादी-पक्ष की स्वीकरोक्ति तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य और विभिन्न प्रकरण में अपीलाण्ट पक्ष के पूर्वज पूनिया आदि द्वारा दिये गये बयान, किये गये समझौता आदि के परिप्रेक्ष्य में यह पाया जाता है कि वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त आराजी का पर्चा लगान सद्भाविक भूल से प्रतिवादीगण के पक्ष में बिना किसी विधिक अधिकार के जारी हो गया। अतः यह बिन्दु अपीलाण्ट्स के खिलाफ एवं रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में निश्चित किया जाता है।

2. आया मामले में प्रतिवादी संख्या दो अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने के समय नाबालिग था, अतः इस आधार पर अब प्रतिवादीगण संख्या दो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त कराने का मुस्तहक है?

इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किये जाने के संबंध में **प्रतिवादी संख्या दो नाबालिग** था और उसके चाचा को उसका संरक्षक दर्शाते हुए वादी-रेस्पो. की ओर से दावा पेश किया गया था। इस संबंध में विधिक व्यवस्था यह है कि प्राकृतिक संरक्षक के अभाव में नाबालिग की संरक्षकता के लिए जिला न्यायालय में आवेदन कर संरक्षकता सुनिश्चित की जावेगी। आलौच्य मामले में ऐसा नहीं किया गया।

किन्तु आलौच्य मामले में यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजी बाबत पर्चा लगान सहवन से प्रतिवादी संख्या दो के पूर्वज के नाम जारी हो गया, जिनके द्वारा इस तथ्य को न्यायालय के समक्ष स्वीकार भी करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि वादग्रस्त आराजी में उनका कोई अधिकार नहीं बनता है और इसका पर्चा लगान मात्र सहवन से उनके नाम जारी हो गया। ऐसी स्थिति में जब नाबालिग प्रतिवादी संख्या दो के पूर्वज का वादग्रस्त आराजी में कोई हक नहीं रहा तो अपने पूर्वज से विरासत में प्राप्त आराजी

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

इसके उपरान्त भी परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 6(1) जहाँ कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे वाद संस्थित करने या किसी डिकी के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हक को उस समय, जब से विहित काल की गणना की जाना है, **अवयस्क** या पागल या जड हो, वहां **उस निर्योग्यता का अन्त होने के पश्चात वह उतने ही काल के भीतर वाद संस्थित या आवेदन** कर सकेगा, जितना उसे **अन्यथा अनुसूची के तीसरे स्तम्भ** में तदर्थ विनिर्दिष्ट समय से अनुज्ञात होता।

उल्लेखनीय है कि **अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में मद संख्या 59 में ऐसी लिखत या डिकी को रद्द या अपास्त करने के लिए या संविदा को विखण्डित करने के लिए समय सीमा 3 वर्ष दी गयी है।** यह तीन वर्ष की अवधि उस समय से परिगणित की जानी है, जब वे तथ्य वादी को पहली बार ज्ञात होते है जिनसे लिखत या डिकी को रद्द या अपास्त या संविदा को विखण्डित कराने का हक उसे प्राप्त होता है।

आलौच्य प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की जानकारी प्रतिवादी संख्या दो को सन 2007 **से बखूबी हो चुकी थी,** मगर आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष यह अपील सन् 2017 में की गयी है।

इसलिए अब इस उज्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय को दी गयी चुनौती मान्य नहीं है। अपीलाण्ट कालबाधित होने से अपीलाधीन डिकी को अपास्त कराने के मुस्तहक नहीं ठहरते।

3. आया प्रतिवादीगण गरीब अनपढ काश्तकार होने के कारण कानूनी प्रावधानों की उन्हें समुचित जानकारी के अभाव में अपील अन्दर मियादशुमार की जानी चाहिये?

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

का ज्ञान नहीं हो तो मियाद अधिनियम के प्रावधानों में विशेष छूट प्रदान की जानी चाहिये। फिर आलौच्य प्रकरण में सन **2007 में तो अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की जानकारी हर हालत में हो ही चुकी थी;** तो उसके बाद के विलम्ब की अवधि का दिन-प्रतिदिन का हिसाब तो अपीलाण्ट को देना ही होगा। मगर ऐसा कोई हिसाब नहीं दिया गया। अतः अपील मियाद बाधित होने से इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

4. आया अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी प्रारम्भ से ही नलिटी एवं शून्य प्रभावी होने के कारण समय सीमा अधिनियम के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते है?

बिन्दु एक व दो के विवेचन से स्वतः सिद्ध है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी किसी भी प्रकार से नलिटी एवं शून्य प्रभावी नहीं है, अतः बिन्दु संख्या तीन में वर्णितानुसार मियाद अधिनियम के प्रावधान आलौच्य अपील प्रकरण पर पूर्णत लागू होते है तथा अपील मियाद बाधित पायी जाती है।

अधिवक्ता-रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत नजीरों एवं उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट मियाद-बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, जो तदनुसार खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 01 जून 1978 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें । डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. श्रीमती रामुडी पत्नी पूनाराम उर्फ पूनिया भील 2. संतोष पुत्र पूनाराम उर्फ पूनिया भील 3. अशोक उर्फ कानाराम पुत्र पूनाराम उर्फ पूनिया भील 4. श्रीमती नैनी पत्नी जोगाराम उर्फ जोगला भील 5. नीतू पुत्री जोगाराम उर्फ जोगला भील 6. सुनीता उर्फ कुकी पुत्री जोगाराम उर्फ जोगला भील निवासीगण धिनाणा की ढाणी, पाल, तहसील व जिला जोधपुर	ब ना. म	1. हीराराम पुत्र गुमनाराम जाट के कायममुकामान -- a. बस्तीराम पुत्र हीराराम जाट b. भगाराम पुत्र हीराराम जाट c. तेजाराम पुत्र हीराराम जाट d. सिमाराम पुत्र हीराराम जाट e. श्रीमती चिडिया पुत्री हीराराम जाट f. श्रीमती गंगा पुत्री हीराराम जाट निवासीगण ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर 2. मंजू पुत्री पूनाराम उर्फ पूनिया भील निवासी पाल, तहसील व जिला जोधपुर 3. संजू पुत्री पूनाराम उर्फ पूनियां भील निवासी पाल, तहसील व जिला जोधपुर 4. रेखा पुत्री पूनाराम उर्फ पूनिया भील नाबालिग जरिये माता रामूडी निवासी धिनाणा की धाणी पाल, तहसील व जिला जोधपुर 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर 6. उप-पंजीयक, पंजीयन विभाग, जोधपुर 7. श्यामलाल पुत्र मूलाराम भील, निवासी मथानिया, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर, जोधपुर दिनांक 01 जून 1978 राजस्व मूल वाद संख्या 28/1978 हीराराम बनाम पूनिया इत्यादि

---- 0 ------

यह अपील बतारीख 30 दिसम्बर, 2019 रूबरू बहाजरी अधिवक्ता श्री स्वर्णसिंह मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री अर्जुनसिंह चौधरी, अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो., श्री डी.आर.भादु, अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो., श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो.एंव अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो. श्री दूदाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो. समायत पेश होकर हुक्म हुआ कि प्रस्तुत नजीरों एवं उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट मियाद-बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, जो तदनुसार खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 01 जून 1978 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---- शून्य ------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 30 दिसम्बर, 2019 को जारी किया गया।

30/12/19

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकालतनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

30/12/19

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर